अन्तर्गत धारा 111,128 LR ACT 1956
ब०उ० हेमचंद बनाम सरकार
मुकदमा संख्या 31 दिनांक 11.07.2024
निर्णय दिनांक 11.03.2025
पृष्ठ संख्या -1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, खैरथल-तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी :-रेखा यादव आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31/24	11.07.2024	11.03.2025

अनुवान

1. हेमचन्द दत्तक पुत्र मंगतूराम उम्र करीब 74 साल जाति ग्रहमणं निवासी ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल - तिजारा राज0

- :- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला खैरथल - तिजारा राज०

-:-अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराये जाने पत्थरगढी आराजी हाल खसरा नम्बर 121/0.1170 हैक्टयर, 122/0.1897 हैक्टयर वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तह० कोटकासिम की मौका रिपोर्ट दिनांक 26/6/2024 के अनुसार ।

उपस्थित:-

श्री नरहरी व्यास :-प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है :-

1. यह है कि आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 121 / 0.1770, 122/0.1897 हैक्टयर वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल -- तिजारा राज० मे स्थित है। जो कि इस प्रार्थनापत्र मे विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 व नकल मौका पर्चा दिनांक 26/6/2024 संलग्न प्रार्थनापत्र है।

2. यह है कि विवादित आराजीयात मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद हो रहा है ।

3. यह है विवादित आराजीयात की मौके पर पुख्ता डोल नही है मिसमार हो रही जिस कारण मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजीयात की पैमाईश दिनांक 26/6/24 को श्रीमान तहसीलदार, कोटकासिम के आदेश क्रमांक 78 दिनांक 24/6/24 की पालना मे करवाई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

4. यह हे कि विवादित आराजीयात की पैमाईश करने के बाद हल्का पटवारी से मिन प्रार्थी ने विवादित आराजीयात पर पत्थर गाडे जाने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हमारा काम श्रीमान के आदेशानुसार पैमाईश करने का था जो हमने कर दिया है। अब आप श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम के पास जाकर निवेदन करो उनसे आदेश लेकर आओ जिस पर मिन प्रार्थी ने दिनांक 8/7/24 को अप्रार्थी से विवादित आराजीयात पर मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि अदालत से आदेश लाने पर ही हम यह कार्यवाही करेगे इसलिये मिन प्रार्थी दिनांक 26/6/24 के अनुसार अपनी विवादित आराजीयात की पत्थरगढी जरिये अदालत से करवाने के लिये यह प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के समक्ष अविलम्ब ही पेश करना लाजिम आया है।

5. यह है कि मिन प्रार्थी के उक्त अनुवानी प्रार्थनापत्र मे हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन प्रार्थी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिम आया है।

6. यह है कि विवादित आराजीयात काश्त व पक्षकारान हद्द अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार के निवासी है। अतः प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है।

7. यह है कि प्रार्थनापत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 8/7/24 को पैदा हुई है। जिससे कि प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि पेश है ।

8. यह है कि प्रार्थनापत्र पर 2 /- रूपया कोर्टफीस वो नियमानुसार तलवाना चस्पा कर पेश है ।

9. अ. अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी की और से पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 121/0.1770, 122 / 0.1897 हैक्टयर वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल -- तिजारा राज० की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 26/6/24 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे ।

ब. अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थी को अता फरमाई जावे ।

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामील करवाई गई। विधिवत रूप से तामील होने के बाद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार है। विवादित आराजी की पैमाईस दिनांक 26.06.2024 को की गई स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नक़ल जमाबंदी सम्वत अंतिम चौसला आधार सम्वत 2075-2078, नक़ल पैमाईस रिपोर्ट की प्रति पेश की।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी का प्रति स्वयं खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का मौके पर विवाद नहीं है। विवादित आराजी का राजस्व टीम द्वारा पूर्व में पैमाईस की जा चुकी है। इसलिए प्रति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी कि जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व बहस प्रार्थी अधिवक्ता के सघन मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है की विवादित आराजी प्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

अत: उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 121 रकबा 0.1770, 122 रकबा 0.1897 है० वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ़ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला खैरथल तिजारा राज० की खातेदारी आराजी से लगती आराजी के सभी काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्वसूचित कर उनकी मौजूदगी में पुन: पैमाईस कर पत्थरगढ़ी करवाई जावे। अहकाम जारी हो।

आज दिनांक 11.03.2025 को आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी करने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेखा यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम खैरथल तिजारा राज०

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०